


204



समक्ष राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012 निगरानी - R-3059-II/12

धनीराम पुत्र काशीराम आयु- 90 वर्ष,
जाति रावत, व्यवसाय-कृषि, निवासी ग्राम
निजामपुर, तहसील नखर जिला शिवपुरी

-----निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1- जगदीश पुत्र हरगोविन्द जाति रावत निवासी
ग्राम निजामपुर, तहसील नखर जिला
शिवपुरी

2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

-----रिस्पोंडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 18/07/2012 वउनवान
जगदीश बनाम म.प्र. शासन प्रकरण क्रमांक
435/11-12/अ12 निगरानी जो कि न्यायालय तहसीलदार
जिला शिवपुरी के द्वारा पारित किया गया है ।

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-


यहकि, आवेदक के के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि
भूमि सर्वे क्रमांक 586 स्थित ग्राम निजामपुर तहसील नखर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3059-दो/12

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 09.05.2019 को अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी नरवर</p>	